16

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा–1/अजमेर/2014पार्ट जयपुर, दिनांक 23.9.2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस–पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए है :–

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षिणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जो राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10/12) के अत्यन्त निकट है उन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिसके कारण आर.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत होने के वावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता भी संभव नही हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

....2

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम के निकटतम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान को प्रेषित किये गये। आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में समन्वयन के प्रस्तावों की जॉच एवं परीक्षण हेतु गठित समिति के द्वारा जॉच उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को भिजवाये गये।

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग द्वारा परीक्षण एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के पश्चात स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला अजमेर के कम नामांकन वाले कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को कॉलम 5 में वर्णित विद्यालयों में निम्नानुसार समन्वित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:—

जिला : अजमेर

क्र0स0	पंचायत समिति/ नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/ वार्ड नं0	राउमावि/मावि (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	किशनगढ	सिणोदिया	सिणोदिया	राउमावि, सिणोदया	राप्रावि, भोपों की ढाणी
2.	किशनगढ	किशनगढ	वार्ड नं. 7	राउमावि, गांधी नगर किशनगढ	राप्रावि, मुस्लिम बस्ती
3.	श्रीनगर	नारेली	नारेली	राउमावि नारेली	राप्रावि नाथों की ढाणी

उपरोक्तानुसार समन्वित (एकीकृत) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा:—

i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।

ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।

iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियॉ, उपयोगी एवं अनुपयोगी